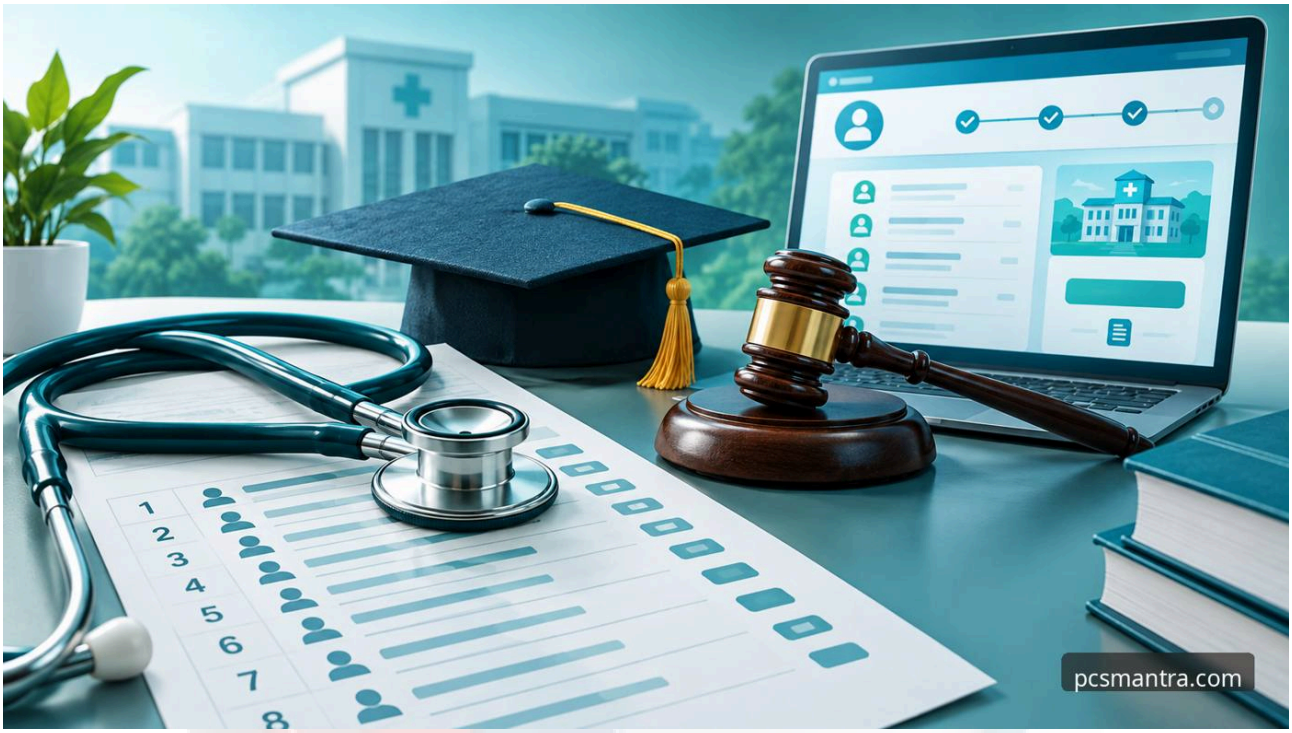
# NMC का प्रस्ताव: PG और सुपर-स्पेशियलिटी प्रवेश में परसेंटाइल की जगह रैंक-आधारित प्रणाली

**समाचार-संदर्भ:** 4 नवंबर 2026 — सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 12-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में NMC का प्रस्ताव।

**प्रकाशन:** 4 नवंबर 2026

**मुख्य परीक्षा (GS-II):** शासन — चिकित्सा-शिक्षा विनियमन, संस्थागत सुधार, डिजिटल शासन।

**प्रिलिम्स:** NMC, MCC, NEET-PG/SS, परसेंटाइल बनाम रैंक, काउंसलिंग प्रक्रिया।




मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## खबरों में क्यों

देश के शीर्ष चिकित्सा-शिक्षा नियामक **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)** ने पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) और सुपर-स्पेशियलिटी (SS) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए **परसेंटाइल प्रणाली हटाकर रैंक-आधारित प्रणाली** अपनाने का प्रस्ताव रखा है — उद्देश्य काउंसलिंग के चक्रों के बीच की **देरी घटाना** है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी **12-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति** की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने प्रस्तावित बदलाव को **सैद्धांतिक मंजूरी** दे दी है; नए विनियम अभी अंतिम रूप से जारी होने बाकी हैं।

PCSMANTRA.COM

## क्या बदलेगा

वर्तमान में बाद के चक्रों में खाली सीटें भरने के लिए **योग्यता-परसेंटाइल घटाने** का निर्णय कोई "सक्षम प्राधिकारी" हितधारकों के परामर्श से लेता है — इसमें अनुमति-प्रक्रिया समय खाती है। रैंक-आधारित प्रणाली में **परसेंटाइल घोषित ही नहीं होगा, केवल रैंक दी जाएगी,**

जिससे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की जरूरत खत्म होगी और काउंसलिंग **निर्धारित समय-सीमा** में पूरी हो सकेगी।

## डॉक्टरों की आपत्ति

IMA-जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान का तर्क: यह बदलाव उस समस्या का समाधान नहीं कि परसेंटाइल घटने से **बहुत कम — यहाँ तक कि ऋणात्मक अंक (−40 तक) वाले अभ्यर्थी भी PG सीट के योग्य** बन जाते हैं; रैंक-प्रणाली सीट-आवंटन में सार्थक बदलाव नहीं लाती और NMC ने कट-ऑफ कम-से-कम **शून्य अंक** रखने की कोई बात नहीं कही। उनका सुझाव: जो सीटें वर्षों से खाली रहती हैं, उन्हें **रद्द** किया जाए — मानक न घटाए जाएँ।

## डिजिटल पारिस्थितिकी की ओर

इस वर्ष से चालू डिजिटल काउंसलिंग के बाद **मेडिकल काउंसलिंग समिति (MCC)** "न्यूनतम मानव-हस्तक्षेप" की ओर बढ़ रही है — पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। अब सीट-अपग्रेड के लिए संस्थान जाकर दस्तावेज़-शुल्क जमा करने की चक्कर खत्म; परिणाम राज्य प्राधिकरणों को **ऑनलाइन** साझा करने की योजना (सॉफ्टवेयर का परीक्षण राज्यों के सिस्टम-उन्नयन के बाद)। **UG/PG सीटों का पूर्ण ऑनलाइन डेटाबेस** तैयार — 2025 तक कॉलेजों से हस्त-सत्यापित सूची पर निर्भरता से सीटों का दोहराव या बाद के चक्रों में देरी से जुड़ना होता था, जिससे अधिक योग्य विद्यार्थी पीछे रह जाते थे। NMC काउंसलिंग शुरू होने से पहले सीटें अद्यतन करेगा; **2027 से MCC का ऑडिट-तंत्र** प्रक्रिया की समस्याएँ पहचानकर व्यावहारिक समाधान निकालेगा।

## परीक्षा-दृष्टि

मुद्दा तीन परतों में पढ़ें: (1) **प्रक्रिया-दक्षता** — अनुमति-स्तर हटना, समय-बद्ध काउंसलिंग; (2) **मानक बनाम सीट-भराव** — रिक्त सीटें भरने के लिए योग्यता-दरवाजा कितना खोला जाए, यह चिकित्सा-शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न; (3) **डिजिटल शासन** — डेटाबेस-आधारित, कम-हस्तक्षेप वाली प्रक्रिया से पारदर्शिता।

## परीक्षा के लिए महत्त्व

**मुख्य परीक्षा (GS-II): चिकित्सा-शिक्षा का विनियमन और NMC की भूमिका; योग्यता-मानक बनाम सीट-उपयोग; काउंसलिंग में डिजिटल-सुधार और जवाबदेही; न्यायालयीन निगरानी।**
**प्रिलिम्स: NMC और MCC की भूमिका; NEET-PG/SS; परसेंटाइल बनाम रैंक; सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 12-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति।**

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

PCSMANTRA.COM

**प्रश्न. "परसेंटाइल से रैंक-आधारित प्रणाली की ओर बदलाव प्रक्रिया-सुधार है, मानक-सुधार नहीं।" NMC के प्रस्ताव के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)**

**भूमिका में**
**रैंक-आधारित प्रणाली काउंसलिंग की गति बढ़ा सकती है, पर योग्यता-मानक का प्रश्न अनुत्तरित रहता है।**

**मुख्य भाग में**
**वर्तमान व्यवस्था: परसेंटाइल घटाने में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और देरी; प्रस्ताव: केवल रैंक, समय-बद्ध काउंसलिंग;**

आलोचना: ऋणात्मक अंक तक योग्यता, शून्य-कटऑफ का अभाव, वर्षों से खाली सीटें रद्द करने का विकल्प; डिजिटल पारिस्थितिकी: MCC का न्यूनतम-हस्तक्षेप मॉडल, ऑनलाइन सीट-डेटाबेस, 2027 से ऑडिट-तंत्र।

**निष्कर्ष में**

देरी घटाना आवश्यक है, पर गुणवत्ता की गारंटी कट-ऑफ-नीति और यथार्थवादी सीट-प्रबंधन से ही आएगी।

## प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. NMC के रैंक-आधारित प्रवेश प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:**

**कथन-I:** प्रस्तावित प्रणाली में परिणाम में परसेंटाइल घोषित नहीं होगा, अभ्यर्थियों को केवल रैंक दी जाएगी।

**कथन-II:** वर्तमान में परसेंटाइल घटाने का निर्णय बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल कथन-I

(b) केवल कथन-II

(c) कथन-I और कथन-II दोनों

(d) न तो कथन-I, न कथन-II

**उत्तर: (a)** — कथन-I सही: विशेषज्ञ-समिति रिपोर्ट के अनुसार नई प्रणाली में केवल रैंक दी जाएगी। कथन-II गलत: वर्तमान में परसेंटाइल घटाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी हितधारकों के परामर्श से लेता है — रैंक-प्रणाली इसी अनुमति-आवश्यकता को समाप्त करेगी।

**प्रश्न 2. केंद्रीय कोटे की चिकित्सा सीटों का आवंटन कौन-सा निकाय करता है?**

(a) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

(b) मेडिकल काउंसलिंग समिति (MCC)

(c) विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत कार्यालय

(d) राज्य चिकित्सा परिषदें

**उत्तर: (b)** — MCC सभी स्तरों पर केंद्रीय-कोटा सीटें आवंटित करती है; वह पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को न्यूनतम मानव-हस्तक्षेप के साथ डिजिटल करने की दिशा में काम कर रही है। NMC नियामक है, आवंटनकर्ता नहीं।

PCSMANTRA.COM

## स्रोत

1. इंडियन एक्सप्रेस: NMC proposes rank instead of percentile system for admission to PG, SS courses (4 नवंबर 2026)
https://indianexpress.com/article/india/national-medical-commission-rank-percentile-system-admission-pg-ss-courses-10949526/